# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

**अपील(सू.का.अ)संख्या 04/2024** बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर, स0मा0 पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह यादव निवासी अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302013 / तहसीलदार खण्डार

GCMS No-2024/4

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 14.2.2024 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 5.10.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–<br>1. यह है कि तहसीलदार खण्डार श्री तुलसीराम व अन्य राजस्व अधिकारी एवं चार सदस्य टीम जिसने वन विभाग के खसरा नम्बर 288/45 हल्का रावरा जयसिंहपुरा, सिविल न्यायालय खण्डार के सामने मैन रोड़ सवाईमाधोपुर पर अवैध रूप से तरमीम करने पर श्री नरेन्द्र चौधरी प्रधान पंचायत समिति खण्डार द्वारा उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार के विरूद्व दिनांक 23.8.2022 को सांय करीब 6 बजे तरमीम करने पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को दिनांक 25.8.2023 को प्रेषित परिवाद की प्रमाणित प्रति तथा उक्त परिवाद जिला कलेक्टर कार्यालय में प्राप्ति दिनांक मय क्रमांक एवं उस पर की गयी जॉच रिपोर्ट/पत्राचार एवं की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।<br>2. यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा उक्त दिनांक 23.8.2022 को तरमीम बाबत गठित टीम के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा उक्त टीम द्वारा दिनांक 23.8.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट/सीमाज्ञान रिपोर्ट/नक्शा की प्रमाणित प्रति तथा वन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट एवं उस पर की गयी कार्यवाही/पत्राचार की प्रमाणित प्रति।<br>3. यह है कि तहसीलदार खण्डार की दिनांक 15.9.2021 से 15.9.2023 तक की आवंटित वाहन तहसील खण्डार की गाडी आरजे 25 यूए 0753 की लॉगबुक की प्रमाणित प्रति।<br>4. यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा ख0न0 104 कस्बा खण्डार बाबत राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय खण्डार एवं पानी की टंकी खण्डार मैन रोड पर उपजिला कलेक्टर खण्डार/तहसीलदार खण्डार द्वारा अतिक्रमण पर धारा 91 एलआरएक्ट व अन्य के वर्ष 2020–2021 एवं 2021–2022 मे जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति।<br>5. यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा वर्ष 2021–2022 रबी मे ग्राम जयसिंहपुरा की चरागाह भूमि ख0न0 9,10,12,37 बाबत जारी नोटिस 91 एलआरएक्ट एवं उक्त नोटिस के कम में की गयी कार्यवाही/निर्णय मय समस्त नोटिस की प्र0प्रति।<br><br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में [illegible] लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। |

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushpal Yadav
Date: 2024.09.21 14:18:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(2)(183)/सूकाअ/2023/44 दिनांक 11.01.2023एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2023/4976 दिनांक 24.01.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 5.10.2023 के बिन्दु संख्या 1 पर चाहे गये परिवाद की प्रमाणित प्रति प्रभारी अधिकारी भू.अ. अनुभाग को प्राप्त नही होने के कारण तथा तहसीलदार खण्डार के कार्यालय मे परिवाद की छायाप्रति होने के कारण अपीलान्ट को प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को तहसीलदार खण्डार के पत्रांक भू.अ./2023/4718 दिनांक 11.01.2024 से वस्तुस्थिति से तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए 6/–रू जमा करवाने के लिए अवगत कराया जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 3 लगायत 4 की सूचना (147 पृष्ठो की )अपीलान्ट को तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 1233–1234 दिनांक 7.12.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना से संबंधित रिकार्ड(91 एलआरएक्ट की रिपोर्ट कार्यालय मे प्राप्त नही होने से ) कार्यालय मे संधारित नही होने से उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 5.10.2023 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना से संबंधित परिवाद की तहसील कार्यालय में छायाप्रति होने के कारण प्रमाणित प्रति नही दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खण्डार अपीलान्ट को उक्त परिवाद की अप्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए 6/–रू जमा करवाने बाबत लिखा गया है इसलिए अपीलान्ट द्वारा राशि जमा कराने के उपरान्त अपीलान्ट को सूचना दी जावे। बिन्दु संख्या 3 व 4 की (कुल 147 पृष्ठो की) सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1233–1234 दिनांक 7.12.2023 से भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना से संबंधित रिकार्ड (91 एलआरएक्ट की रिपोर्ट कार्यालय मे प्राप्त नही होने से ) तहसील खण्डार के कार्यालय मे संधारित नही होने के कारण उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:18:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner